प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर, 2022

विषय:- प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध आंतकवादी, तस्कर, माफिया, नक्सली तथा कुख्यात प्रवृत्ति के बन्दियों के सुरक्षित निरूद्धिकरण के लिए उच्च सुरक्षा कारागार के रूप में उच्चीकरण हेतु चयनित 05 कारागारों में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11299/आधु0-2/05 जेल/2022, दिनांक-04 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या-18293/आधु0-2/05 जेल/2022, दिनांक-08 जून, 2022 एवं शासनादेश संख्या-42/2022/957/22-4-2021-48(9)/19, दिनांक-24.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश दिनांक-24.03.2022 द्वारा प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध आंतकवादी, तस्कर, माफिया, नक्सली तथा कुख्यात प्रवृत्ति के बन्दियों के सुरक्षित निरूद्धिकरण के लिए उच्च सुरक्षा कारागार के रूप में उच्चीकरण हेतु चयनित 05 कारागारों में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रू0 2026.95 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। कारागार मुख्यालय के सूचनानुसार विगत वित्तीय वर्ष में क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु अपेक्षित समयाभाव के कारण धनराशि समपर्ति कर दी गयी।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की 05 उच्च सुरक्षा कारागारों क्रमश: जिला कारागार लखनऊ, आजमगढ, चित्रकूट, बरेली (वर्तमान केन्द्रीय कारागार बरेली द्वितीय) एवं गौतमबुद्व नगर में निरूद्व आंतकवादी, तस्कर, माफिया, नक्सली तथा अन्य कुख्यात प्रकृति के बन्दियों के सुरक्षित निरूद्वीकरण के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-42/2022/957/22-4-2021-48(9)/19, दिनांक-24.03.2022 द्वारा प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु धनराशि रू0 20,26,95,000/- (रूपया बीस करोड़ छब्बीस लाख पन्चानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करतीं हैं:-

क0	प्रस्तावित कार्य मद	मात्रा	लागत प्रति यूनिट	कुल लागत (रू0 लाख में)
1	डयूल व्यू स्कैनर बैगेज	05	4714100	235.70
2	फुल हयूमन बॉडी स्कैनर	05	17700000	885.00
3	मुलाकात घर हेतु कान्टेक्ट लैस ग्लास	130	560000	728.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	पैनिक अलार्म सिस्टम	05	1575000	78.75
5	नाइट विजन बाइनाकुलर	15	500000	75.00
6	लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम	5	490000	24.50
			योग-	2026.95

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं /सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा ।

(2) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर गयी हो ।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई / महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणो की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

(4) उपकरणो के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तगर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणो का क्रय न किया जाय ।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31-3-2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(6) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपरोक्त तालिका के क्रमांक-2 पर अंकित फुल हयूमन बॉडी स्कैनर का क्रय/क्रय की प्रक्रिया का प्रारम्भ/व्यवस्था नियामक संगठन एटोमिक एनर्जी रेग्यू-लेटरी बोर्ड (AERB) का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा विवरणानुसार कार्य पूर्ण होने के उपरान्ते उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्धी कराया जायेगा।

(8) महानिरीक्षक, कारागार यह सुनिश्चित हो लेंगे कि शासनादेश दिनांक-24.03.2022 द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित नहीं की गयी है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,26,95,000 (रुपये बीस करोड़ छब्बीस लाख पंचानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या E-12- 89 -X-2022-23, दिनांक- 09-09-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-109/2022/866 /001-22-4-2022-48-9-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय साख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निजी सचिव,ममा0रराज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0।

(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।